कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उ0प्र0,

चतुर्थ तल,किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर,लखनऊ–226010

पत्रांकः कृ0वि0कृ0वि0व्या0नि0 / 70 / तिल निर्या0 / 2018–19, दिनांक सितम्बर,2018 11/10/18

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश शासन, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–2 के शासनादेश संख्याः 6 / 2018 / 570 / अस्सी–2–2018–200(1) / 2011 लखनऊः दिनांक 28 अगस्त,2018 के द्वारा प्रख्यापित "उ0प्र0 प्रसंस्कृत तिल निर्यात प्रोत्साहन योजना (2018–23)" के प्रस्तर–7 के प्राविधानान्तर्गत बैंक गारन्टी दिशा निर्देश निम्नवत अवधारित किये जाते हैं:–

1. बैंक गारण्टी की धनराशि आयातक देश से प्राप्त मॉग / निर्यात आदेश के समतुल्य निर्यात योग्य प्रसंस्कृत तिल के कच्चे माल अर्थात तिल (रॉ / नेचुरल) पर देय मण्डी शुल्क व विकास सेस के तुल्य होगी।

2. जिस मण्डी समिति में निर्माता–निर्यातक की प्रसंस्करण इकाई स्थापित होगी उसी मण्डी समिति में बैंक गारण्टी जमा करनी होगी।

3. यदि निर्माता–निर्यातक दूसरी मण्डी के लाइसेंस पर कच्चा माल (रॉ / नेचुरल तिल) खरीद करके निर्यातक मण्डी समिति में लाता है तो उसका पूर्ण विवरण जिस मण्डी समिति में बैंक गारण्टी जमा करायी है, के साथ क्रय की मण्डी समितियों को पृथक से मासिक रुप से देना होगा।

4. बैंक गारन्टी जमा करने वाली मण्डी समिति का यह दायित्व होगा कि इस बात की गणना अपने पास सुरक्षित रंखें कि कितनी धनराशि के निर्दिष्ट कृषि उत्पाद (रॉ / नेचुरल तिल) का क्रय मण्डीवार अन्य सभी मण्डियों से किया गया है तथा कितना मण्डी शुल्क व विकास सेस किस–किस मण्डी समिति का प्रभावित हुआ।

5. उपरोक्त के अतिरिक्त बैंक गारण्टी के सम्बंध में शासन / निदेशालय द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों / आदेशों का अनुपालन अनिवार्य होगा।

11.10.18
(रमाकान्त पाण्डेय)
निदेशक, कृषि विपणन

पृष्ठांकन संख्याः कृ0वि0कृ0वि0व्या0नि0 / 70 / तिल निर्या0 / 2018–19, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–विशेष सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–2, सचिवालय,उ0प्र0 शासन,लखनऊ।
2– निदेशक , राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उ0प्र0, लखनऊ।
3– समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
4– समस्त उप निदेशक(प्रशा0 / विप0), राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उ0प्र0।
5– समस्त सभापति / सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, उ0प्र0।
6– अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश तिल निर्यातक संघ,डी–235,विवेक विहार ,नई दिल्ली–110095।
7– समस्त सहायक कृषि विपणन अधिकारी उ0प्र0 एवं सहायक विपणन अधिकारी लखनऊ।

11.10.18
(रमाकान्त पाण्डेय)
निदेशक, कृषि विपणन